

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(यष्टम बोड्रालय - भारत सरकार)

के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)

CSB Complex, BTM Layout

Madivala, BENGALURU - 560 068

CSB/29/GPF//CIR/07-08/PI

Date: 02.01.2017

To

Sr.

Sub: Sanction of GPF Advance/Partial Final Withdrawal
to Officers & Officials of Central Silk Board-Reg.

This is to inform that individual GPF Accounts for the Financial year 2016-17 are required to be posted and brought up to date to facilitate the calculation of interest due for the year 2016-17 and credit on 31.03.2017. Routine advance withdrawal of amount from GPF in the month of February / March 2017 will cause inconvenience and affect the process of calculation of interest before the closing of account for the year 2016-17. Therefore, all the Officers/Officials are strictly advised to avoid submission of routine application for grant of advances /withdrawals from the GPF account after 15.02.2017 unless the purpose for which advances/PFW are sought are of very emergency and immediate in nature. Application of routine nature, if any, received from any Officers/Officials after 15.02.2017 will be considered only after closure of the financial year 2016-17 i.e., it shall be processed during the month of April 2017 and this may kindly be brought to the notice of all Officers/Officials.

All are requested to co-operate for timely closure of GPF accounts.

Yours faithfully

(CA MANOHARAN.A)

JOINT DIRECTOR (FINANCE)



Copy to the Deputy Director (Computer) Central Office, CSB Bangalore for
uploading in Website.



वेबसाइट Website : <https://csb.gov.in>

ई-मेल E-mail : [jd\(finance.csb@nic.in\)](mailto:jd(finance.csb@nic.in))

फोनPhone : 083-25262699/26685060

26282305/304/303

फैक्स Fax : 083-26791456



केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार)

के. रे. बो. कॉम्प्लेक्स, सी. टी. एम. लेआउट,
मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)

CSB Complex, BTM Layout

Madivala, BENGALURU - 560 068

सं: केरेबो-29/सा.भ.नि/परिचर/07-08/भ.नि

02 जनवरी, 2017

सेवा में

विषय: केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/आंशिक अंतिम निकासी की संस्थिकृति के संबंध में।

महोदय,

यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्यक्तिसत सामान्य भविष्य निधि खातों की प्रविष्टि किया जाना तथा अद्यतन बनाना अपेक्षित है ताकि वर्ष 2016-17 के लिए देय ब्याज की गणना कर 31 मार्च, 2017 को जमा किया जा सके। वर्ष 2016-17 के लिए लेखा बंद करने के पहले माह फरवरी/मार्च, 2017 में सा.भ.नि.से राशियों की नेमी निकासी से असुविधा होगी तथा ब्याज की गणना प्रक्रिया प्रभावित होगी। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि 15 फरवरी, 2017 के बाद सा.भ.नि.खाते से अग्रिम/निकासी प्रदान करने के लिए नेमी आवेदन-पर प्रस्तुत न करें जब तक कि उद्देश्य जिसके लिए मांगा गया अग्रिम/आंशिक अंतिम निकासी बहुत अपरिहार्य/तान्कालिक प्रकृति का न हो। 15 फरवरी, 2017 के बाद किसी अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त नेमी प्रकृति के आवेदन-पर यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष 2016-17 के समापन होने के पश्चात् अर्थात् अप्रैल, 2017 में ही उन पर विचार किया जाएगा। कृपया इसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।

राजी से अनुरोध है कि सा.भ.नि. खाता समय पर सन्तुष्टि करने के लिए सहयोग दें।

भवदीय,

(सीए. मनोहरन ए.)

संयुक्त निदेशक (वित्त)

प्रतिनिधि: उप निदेशक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो बेंगलूरु को वेबसाइट में डालने हेतु।



वेबसाइट Website : <https://csb.gov.in>

ई-मेल e-mail : jfinance.csb@nic.in

फोनPhone : 080-26282639/26685063

26282305/304/303

फैक्सFax : 080-26781458

